झारखण्ड सरकार

खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

अधिसूचना

खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,अन्तर्गत माप एवं तौल प्रभाग,झारखण्ड सरकार द्वारा माप तौल उपकरणों का सत्यापन प्रमाण पत्र,माप तौल उपकरणों का निर्माता,विकेता एवं मरम्मतिकर्त्ता अनुज्ञप्ति तथा पैकेज कॅामाडेटिज के निर्माता/पैकर्स/आयातक को निबंधन प्रमाण पत्र विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बनी नियमावलियों में दिये गये नियमों के आलोक में वर्तमान में Offline के माध्यम से दिये जाते हैं।

Ease of doing business के तहत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि Offline से संबंधित कार्य पूर्णतः बन्द किये जाँय ताकि विभागीय बेवसाईट www.elegalmetrology.jharkhand.gov.in एवं ejharlegalmetrology application को पूर्णरुपेण पारदर्शी एवं User friendly बनाकर लागू की जा सके।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैः–

1. दिनांक 01.10.17 से Ease of doing business के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदायी सभी सेवाओं के लिए आवेदन Online ही प्राप्त किये जायेंगे।
2. Online आवेदन प्राप्त होने से लेकर आवेदन स्वीकृत होने तक यथासम्भव Upload किये गये कागजात की जाँच के लिए Hardcopy की मांग नहीं की जायेगी तथा सेवाओं को भी Online mode में ही आवेदकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. Online आवेदन प्राप्त होने के उपरांत किसी भी कागजात के संबंध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर केवल एक बार में ही पूछा जायेगा।
4. Online प्राप्त आवेदनों के ससमय निस्तार की जबाबदेही सम्बन्धित पदाधिकारियों की होगी। "सेवा का अधिकार अधिनियम" के तहत् अधिसूचित सेवाऐं समय सीमा के अन्दर प्रदान कर दी जायेगी अथवा आवेदन को कारण सहित अस्वीकृत कर दिया जायेगा। नियत समय सीमा के तहत् आवेदन पर निर्णय नहीं लेने की स्थिति में इसे "Deemed approval" माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति के कारण किसी प्रतिकूल परिणाम परिलक्षित होने पर विलम्ब के लिए उसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारी की होगी।
5. Online विधि से प्राप्त आवेदनों के निस्तार के लिए JAP-IT/NIC द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
6. Single window system के तहत grievance का पूर्णरुपेण निस्तार पाँच दिनों के अन्दर किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक– खा0मा0तौ0स्था0–02/2017....................राँची, दिनांक..................

प्रतिलिपि–प्रेस अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,डोरंडा,राँची को सूचनार्थ एवं अगामी राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– खा0मा0तौ0स्था0–02/2017 3777 राँची, दिनांक 04/09/17

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव झारखण्ड,राँची/विकास आयुक्त,झारखण्ड,राँची/सरकार के सभी विभाग/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त,झारखण्ड,राँची/मान्यनीय मंत्री,खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड,राँची के आप्त सचिव/नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान,झारखण्ड,राँची/ संयुक्त नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान, राँची/ उप नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान,हजारीबाग/दुमका/सभी सहायक नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान,झारखण्ड/सभी निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान,झारखण्ड/विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner